HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1661/2026

Amrit Lal @ Amrit Singh @ Amra Ram S/o Kheta Ram, Aged About 23 Years, Resident Of Rampura Silasan, Police Station Karda District Jalore.
(At Present Lodged In District Jail, Jalore)

----Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, Through PP
2. Javara Ram S/o Ukaram, R/o Gajipura, P.S. Bhinmal District Jalore.

----Respondents

For Petitioner(s) : श्री श्रवण सैनी

For Respondent(s) : श्री प्रेम सिंह पंवार, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

24/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना भीनमाल, जिला जालोर** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 460/2025** अपराध अन्तर्गत **धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता, धारा 16/17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व धारा 84 किशोर न्याय अधिनियम** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता व 16/17 पोक्सो एक्ट के आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ आरोप है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने सहअभियुक्त जितेन्द्र कुमार उर्फ जीतू के साथ मिलकर पीडिता का अपहरण किया व सहअभियुक्त जितेन्द्र कुमार, पीडिता को बस में लेकर चला गया व

सहअभियुक्त जितेन्द्र कुमार ने पीडिता के साथ बलात्कार किया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ पीडिता के साथ बलात्कार करने का कोई आरोप नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 12.01.2026 को गिरफ्तार किया गया है तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त 23 वर्षीय नवयुवक है। अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध किया तथा व्यक्त किया कि प्रार्थी/अभियुक्त व सहअभियुक्त जितेन्द्र कुमार उर्फ जीतू पर नाबालिग पीडिता का अपहरण करने का आरोप है, अपहरण करने के उपरांत जितेन्द्र कुमार द्वारा पीडिता के साथ बलात्कार किया गया है उक्त मामला गंभीर प्रकृति का है। जिस मोटरसाइकिल का उपयोग पीडिता को ले जाने में किया गया वह प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुई है। विद्वान लोक अभियोजक ने यह भी व्यक्त किया है कि इस जमानत प्रार्थना पत्र के संबंध में परिवादी/पीडिता के पिता को सूचित कर दिया गया है, किंतु उनकी ओर से बावजूद तामिल कोई उपस्थित नहीं है, उक्त रिपोर्ट को अभिलेख पर लिया जाता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया जावें।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ सहअभियुक्त जितेन्द्र कुमार उर्फ जीतू के साथ मिलकर पीडिता को ले जाने में सहयोग करने का आरोप है और प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ बलात्कार नहीं किया गया, ना ही किये जाने के आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 12.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है और उसके विरुद्ध अन्य कोई आपराधिक मामले में पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है। अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की

अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **अमृतलाल उर्फ अमृत सिंह उर्फ अमराराम पुत्र खेताराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 460/2025 पुलिस थाना भीनमाल, जिला जालोर** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपए मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **25,000–25,000/– (अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपए मात्र)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J

25-Dhanraj Jajoria /-